अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि **अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलना** कोई निहित **अधिकार नहीं है, बल्कि** यह सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिजनों के लिये एक **राहत उपाय है** ।

- यह निर्णय उस मामले पर आधारित था जिसमें **नियुक्ति के दावे** काफी **समय के बाद किये गए थे,** जिससे ऐसे आवेदनों की सामान्य तात्कालिकता को नजरअंदाज कर दिया गया।
  - **सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुकंपा नियुक्ति** के दावों पर **शीघ्र** कार्रवाई की जानी चाहिये।
- नियुक्तियाँ **वैधानिक नीतियों** और दिशा-निर्देशों पर आधारित हैं, न कि किसी सेवा शर्त या पात्रता पर।
- यदि **कोई नीति या नियम मौजूद नहीं है तो** अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियाँ **नहीं की जा सकतीं।**
- अनुकंपा आधारित रोज़गार, **योग्यता-आधारित नियुक्तियों** के नियम का **अपवाद है,** जो प्रभावित परिवारों की सहायता करने की राज्य की ज़िम्मेदारी को दर्शाता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/job-for-deceased-staffers-kin